

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 16(1)साप्र/2/22/पार्ट-30

जयपुर, दिनांक : 02.04.2024

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'चतुर्थ श्रेणी' में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. स.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित आवास
1.	154/2013	श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।	31.03.2046	4/18 गांधी नगर
2.	96/2014	श्री ललित मोहन पालिया कनिष्ठ लिपिक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर।	30.4.2042	4/19 गांधी नगर
3.	128/2020	श्री मदन लाल नेतवाल लिपिक ग्रेड-1 निर्वाचन विभाग ,शासन सचिवालय, जयपुर।	28.02.2055	4/36 गांधी नगर
4.	97/2014	श्री राकेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर।	30.06.2041	4/96 गांधी नगर
5.	98/2014	श्री राकेश कुमार डण्डोटिया सहायक रेडियोग्राफर रेडियोडायग्नोसिस विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज एवं अस्तपाल, जयपुर।	31.08.2050	4/109 गांधी नगर
6.	99/2014	श्री अखलाक उस्ता, वरिष्ठ लिपिक राजकीय उपक्रम विभाग जयपुर।	31.12.2047	4/120 गांधी नगर
7.	129/2020	श्री क्षेत्रपाल दान लिपिक ग्रेड-1 कार्यालय मुख्यमंत्री सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2053	4/127 गांधी नगर

RajKaj Ref
6435461



8.	101 / 2014	श्री रामस्वरूप हरितवाल मेल नर्स-II चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एस.एम.एस.चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2041	4 / 134 गांधी नगर
9.	102 / 2014	श्री अरुणलाल वर्मा फार्मासिस्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एस.एम.एस.चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2044	4 / 137 गांधी नगर
10.	103 / 2014	श्री महेन्द्र विजयवर्गीय कनिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-I जयपुर	31.07.2034	4 / 138 गांधी नगर
11.	130 / 2020	श्री अनिल कुमार लिपिक ग्रेड-I खनिज विभाग ,शासन सचिवालय, जयपुर।	31.01.2055	4 / 139 गांधी नगर
12.	104 / 2014	श्री सतीशचन्द्र गुप्ता कनिष्ठ लिपिक अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं.33 जयपुर महानगर जयपुर	31.07.2033	एफ-923 गांधी नगर (नया नंबर 4 / 142)
13.	105 / 2014	श्री मानसिंह कनिष्ठ लिपिक अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं. 3 जयपुर महानगर जयपुर	31.08.2034	एफ-927 गांधी नगर (नया नंबर 4 / 146)
14.	106 / 2014	श्री सुरेशचंद्र सैनी लैब टैक्नीशियन सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	31.10.2044	एफ-981 गांधी नगर (नया नंबर 4 / 168)
15.	131 / 2020	श्री विशंभर कुमार स्वामी लिपिक ग्रेड-I कार्मिक (ख-3) विभाग ,शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2052	एफ-982 गांधी नगर (नया नंबर 4 / 169)
16.	107 / 2014	श्री अविनाश गौतम लैब टैक्नीशियन सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	31.01.2048	एफ-983 गांधी नगर (नया नंबर 4 / 170)

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय/अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिटी डिविजन-प्रथम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर/अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 33, जयपुर महानगर/अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 3, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
9. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।

RajKaj Ref
6435461

13. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर/पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
16. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड—तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव